न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः 62 / 2023 GCMS No.—2023/89

गिर्राज पुत्र उमराव जाति मीणा निवासी ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
...प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनाथ पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

....
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आवंटन दिनांक 23.12.1977 विधि विरूद्ध रूप से किया गया जिसे निरस्त करने बाबत अर्न्तगत भू आवंटन अधिनियम 1970 के नियम 14(4)।

उपस्थितः—
1. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 29.07.2024</u>

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 23.12.1977 जिससे अप्रार्थी संख्या 1 रामनाथ पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर, निवासी ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ को ग्राम थली, हाल तहसील आंधी स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 302 में से रकबा 2 बीघा का आवंटन किया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 27.07.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या–1 की ओर से श्री विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। आवंटन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आमेर में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। तहसीलदार आंधी से मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2023 को प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगणों ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश 23.12.1977 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम थली तहसील जमवारामगढ स्थित साबिक खसरा नम्बर 302 में से रकबा 2 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 333 है का आवंटन नियम विरूद्व एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज तक आवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा आवंटी ने आवंटन नियमों व शर्तो का पालन नहीं किया जबकि रेस्पा. संख्या 1 के नाम आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा रहा है। रेस्पा0 गलत आवंटन के आधार पर अपीलांट के कब्जे पर पुलिस कार्यवाही के आधार पर कब्जा करना चाहता है ऐसी स्थिति में आवंटी

अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1977 निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन शर्तो अनुसार आवंटित की गयी भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होना आवश्यक है। आवंटी ने आवंटन से लेकर आज तक किसी प्रकार का लगान राज्य सरकार को जमा नहीं कराया है। तहसीलदार आंधी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भी वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नहीं है। दिनांक 20.05.2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थी को कब्जा खाली करने की धमकी दी एवं प्रार्थी से झगडा किया जिसके पश्चात प्रार्थी ने अविम्लब माननीय न्यायालय में में प्रार्थना पत्र 14(4) पेश की है। आवंटन पत्रावली भी उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आमेर में उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि के संबंध में कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गयी। प्रार्थना पत्र में धारा 5 मियाद अधि0 लागू नहीं होता है एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भूमि लागू नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आंवटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में दिनांक 23.12.1977 को ग्राम थली, तहसील जवारामगढ हाल तहसील आंधी स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 302 रकबा 2 बीघा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन नियमों की पालना करते हुए ही किया गया, इसमें कोई गलती आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गई है। अप्राथी संख्या 1 का विवादित भूमि पर कब्जा है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे है जिस संबंध में अप्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरियां पेश की है। आवंटन सलाहकार समिति ने आंवटी को सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर आवंटन किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर एवं अप्रार्थीगणो को हैरान परेशान की नियत से पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 96 सी.पी. सी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता पैरोकार सरकार की दलील है कि प्रकरण में आवंटी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्धद दस्तावेजात एवं तहसीलदार आंधी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 रामनाथा पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर, निवासी ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ, हाल तहसील आंधी के आराजी खसरा नंबर 302 में 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके हाल खसरा नंबर 333 रकबा 0.51 हैक्टेयर है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार आंधी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2024 अनुसार खसरा नंबर 333 रकबा 0.51 हैक्टेयर में वर्तमान में पटवारी द्वारा अवगत कराया गया कि वादग्रस्त भूमि पर गिर्राज पुत्र उमराव

जाति मीना का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक खसरा नंबर 333 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी अप्रार्थी संख्या 1 रामनाथ के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी द्वारा संवत् 2051 से 2054, संवत् 2055 से 2058, संवत् 2035 से 2039, संवत् 2039 से 2042 की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित छायाप्रति पेश की जिनमें खसरा नंबर 302 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा फसल काश्त की गयी है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कि आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में आवंटी को तत्समय आवंटित भूमि की किस्म सिवाय चक थी एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार भी बारानी अंकित है तथा आवंटी के नाम वादग्रस्त भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण में आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि नहीं है। आवंटी के हक में दिनांक 29.05.1984 को बतौर खातेदार नामान्तकरण संख्या 807 तस्दीक किया गया है। 2011(1) **RRT 383** राजस्थान हाई कोर्ट में अभिलिखित है कि आवंटन के 30 वर्ष बाद आवेदन पेश किया आवेदन खारिज किया गया वर्ष 1968 में भूमि आवंटित की गयी निचले न्यायालयों ने इतने लम्बे विलम्ब के बाद शक्तियों का उपयोग करने से इन्कार किया, निर्णीत, आदेशों में त्रुटि नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के लगभग 45 वर्षो बाद आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर भी पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्र/आक्षेप उचित प्रतीत नहीं होते है। आवंटी के नाम खातेदारी दर्ज होने तथा उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आंधी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर